

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 297 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मई 2018—ज्येष्ठ 10, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

क्र. एफ-ए-3-92-2017-1-पांच (49).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-92-2017-1-पांच (164) दिनांक 30 दिसम्बर 2017 सहपठित अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-92-2017-1-पाँच (38), दिनांक 26 मार्च, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में अंक तथा शब्द “31 मई, 2018” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “15 जून, 2018” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूप परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

क्र. एफ-ए-3-92-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-92-2017-1-पांच (49), दिनांक 31 मई 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूप परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 31<sup>st</sup> May 2018

No. F. A-3-92-2017-1-V-(49).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No.20 of 2002), the State Government hereby, makes the following amendment in this department's Notification No.F. A-3-92-2017-I-V-(164), dated 30<sup>th</sup> December 2017 read with Notification No. F-A-3-92-2017-I-V (38), dated 26<sup>th</sup> March, 2018, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, for the figure and word “31<sup>st</sup> May, 2018”, the figure and word “15<sup>th</sup> June, 2018” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.